

## 7.1.2

## जिला स्तर

## (क) ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान हमर गांव-हमर योजना हेतु जिला स्तरीय समिति

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/355 दिनांक 19.10.2105 के अनुसार 14वें वित्त आयोग की राशि का व्यय अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के अनुसार किया जाना है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित निगरानी की आवश्यकता है। जिससे की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया की निगरानी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा किया जा सके। इसके लिए जिला स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) समन्वय समिति तथा जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना समन्वय समिति का अधोलिखित अनुसार गठन किया जाता है।

## जिला स्तरीय जी.पी.डी.पी. समन्वय समिति (CG District Level GPDP Coordination Committee)

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य सचिव
3	वनमंडलाधिकारी	सदस्य
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
5	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (बड-२८)	सदस्य
7	उप संचालक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
8	जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
9	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
10	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
13	उप संचालक, (पंचायत)	सदस्य
14	उप संचालक, पशु पालन विभाग	सदस्य
15	उप संचालक, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
16	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य

17	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (DPSO)	
18	श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग	सदस्य
19	दो गैर शासकीय संस्था के प्रतिनिधि (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
20	अन्य विभागीय अधिकारी (आवश्यकतानुसार कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
	■ इसके अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।	सदस्य

### जनपद स्तर

7.1.3

### जनपद स्तरीय जी.पी.डी.पी. समन्वय समिति (CG Janpad Level GPDP Coordination Committee)

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,	सदस्य सचिव
3	खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4	खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
6	तहसीलदार, राजस्व विभाग	सदस्य
7	अनुविभागीय अधिकारी / उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
8	अनुविभागीय अधिकारी / उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी / कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग	सदस्य
10	पशु चिकित्सक, पशु पालन विभाग	सदस्य
21	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
11	बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
12	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
13	मंडल संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
14	समाज शिक्षा संगठक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
15	श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग	सदस्य
16	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि / उद्यानिकी विभाग	सदस्य
17	मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
18	रेशम निरीक्षक, रेशम विभाग	सदस्य
19	उद्योग निरीक्षक, उद्योग विभाग	सदस्य
20	दो विषय विशेषज्ञ (अनुविभागीय अधिकारी(रा) द्वारा नामांकित)	सदस्य
22	अन्य विभागीय अधिकारी (आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा) द्वारा नामांकित)	सदस्य

■ इसके अतिरिक्त अध्यक्ष जनपद पंचायत विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।



- ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत सम्पूर्ण विकास योजना की अभिलिखित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

ग्राम पंचायत फेसीलिटेशन टीम (टास्कफोर्स) का गठन

ग्राम पंचायत फेसीलिटेशन टीम (टास्कफोर्स) का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:-

सदस्य	अनुमानित संख्या	सदस्यता एवं मूमिका
ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि		
- ग्राम पंचायत के सरपंच	1	जी.पी.डी.पी निर्माण में प्रमुख नेतृत्व
- पंच	10 से 20	जी.पी.डी.पी निर्माण में सरपंच का स
ग्राम पंचायत सचिव	1	जी.पी.डी.पी निर्माण हेतु समन्वय
स्थायी समिति के सचिव		
- सामान्य प्रशासन समिति	1	संबंधित सेक्टरों से जुड़े आंकड़े कराया जाना सुनिश्चित करना,
- शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति	1	सेक्टरों से जुड़ी समस्याओं पर समुदाय से परामर्श कर अपने-अप
- वन एवं राजस्व समिति	1	के विषय में पारिस्थितिक विश्लेषण
- निर्माण एवं विकास समिति	1	ग्राम पंचायत में सेक्टरवार सामर्थ्य, अवसर एवं चुनौतियों का चिन्हांकन
- कृषि, मत्स्यपालन तथा पशुपालन समिति	1	अपनी समिति के सदस्यों के स डेव्हलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट तैयार पंचायत को प्रस्तुत करना
स्वच्छता दूत	1	ग्राम पंचायत में स्वच्छता की रि आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु समुदाय को प्रेरित करना एवं

			सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
5.	ग्राम रोजगार सहायक	1	ग्राम पंचायत में रोजगार/आजीविका की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
6.	स्व-सहायता समूह के सदस्य	1	ग्राम पंचायत में रोजगार/आजीविका की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
7.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	1	ग्राम पंचायत में पोषण एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
8.	शिक्षक	1	ग्राम पंचायत में शिक्षा की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
9	मितानिन	1	ग्राम पंचायत में शिशु, मातृ तथा सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
10.	ए.एन.एम	1	ग्राम पंचायत में शिशु, मातृ तथा सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन कर स्थिति में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित करना एवं चर्चा में सहजकर्ता के रूप में सहयोग करना
11.	प्रेरक	1	जी.पी.डी.पी नियोजन प्रक्रिया में सहयोग करना
12.	सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारी /कर्मचारी	1	जी.पी.डी.पी नियोजन प्रक्रिया में सहयोग करना
13.	स्वयं सेवी संस्थान (एन.जी.ओ)	1	जी.पी.डी.पी नियोजन प्रक्रिया में सहयोग करना
14.	आई.पी.पी.ई के अनुभवी कार्यकर्ता	1	जी.पी.डी.पी नियोजन प्रक्रिया में सहयोग करना
	<b>कुल अनुमानित संख्या</b>	<b>38</b>	